उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-109/2017/1118/92-2-17-164जांच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 11 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्यो के टेण्डर पूलिंग एवं मैनेज टेण्डर डलवाने तत्परिणामस्वरूप खुली निविदा की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित करने एवं टेण्डर प्रक्रिया की पारदर्शिता को दोषपूर्ण बनाने आदि अनियमितताओं लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता,(प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या(दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-109/2017/1118(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-45/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/16-17 दि0 19.04.2017 एवं जिलाधिकारी श्रावस्ती के पत्रसंख्या-20487/एस0टी0-कैम्प/2017 दि0 28.04.2017 की संलग्नक सहित छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को(दो प्रतियों में)03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(संलग्नक-यथोक्त)**

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0)अभियंता, ग्रा0 अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

3- श्री शिवाशिव शरण मिश्र, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in